कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

कमांकः प. 44(1)/अनु0प्रथम/सी/15/प्रे0–1301 दिनांकः 21 /04/2015

–: परिपत्र :–

आल इन्डिया कोन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ''जन सूचना'' विज्ञप्ति सं UB/03(03)/2010 (प्रति संलग्न) के संबंध में प्रकरण में कार्मिक (क–3/जांच) विभाग द्वारा उद्धरण की प्रति में मार्गदर्शन दिया है कि :–

''विभागीय अभियन्ता को जिन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अग्रिम अध्ययन करने की स्वीकृति दी गई है, उनमें से एमसीए एवं एमबीए के अलावा अन्य डिग्री/डिप्लोमा को आल इन्डिया कोन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है । चूँकि सेवानियमों के अनुसार ये डिग्री/डिप्लोमा सेवा में पदोन्नति के लिये मान्य नहीं है । इसलिए पूर्व में जिन कार्मिकों को ऐसे अध्ययन की अनुमति दी गई है, उक्त स्वीकृति को अब निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है । इस तथ्य से संबंधित कार्मिकों को अवगत करावें ।''

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक (क–3,जांच) विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार आपके अधीनस्थ कार्यालयों एवं कार्यरत कार्मिकों के दूरस्थ शिक्षा (Distance Education Mode) से उच्च अध्ययन के प्रकरण आल इन्डिया कोन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ''जन सूचना'' विज्ञप्ति सं UB/03(03)/2010 के अन्तर्गत मान्य प्रकरण ही अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति हेतु परीक्षण पश्चात् इस कार्यालय को भिजवाये तथा पूर्व में जिन कार्मिको को विभाग द्वारा अग्रिम उच्च अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की गई हैं, उन्हें कार्मिक (क–3/जांच) विभाग की राय से अवगत करावें कि उनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education Mode) से अर्जित डिग्री/डिप्लोमा सेवानियमों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिये मान्य नहीं है ।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव
सा0नि0विभाग,राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग–(समस्त)
2. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), /एच.आर. /डीएण्डटी /विजिलेन्स /।
3. अनुभाग–प्रथम/ए/बी/11/12
4. सम्बन्धित कार्मिक................................

संलग्न उपरोक्तानुसार ।

(अन्जू शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रशासन)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर

OfficE ORDER HINDI